रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 22, 2001/श्रावण 31, 1923
No. 419] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 22, 2001/SRAVANA 31, 1923

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2001

सा.का.नि. 599 (अ).—लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 28 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार लोक ऋण नियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 23 मई, 2001 को सा. का. नि. 382(अ) द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, 45 दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रति जनता को 24 मई, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियम के संबंध में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब केन्द्रीय सरकार लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक ऋण नियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक ऋण (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक ऋण नियम, 1946 के नियम 24 के उप-नियम (1) में, खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(थ) सरकारी वचनपत्र या वचनपत्रों, स्टॉक प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों या समनुषंगी साधारण खाते में धारक के लेखा नामे धारित स्टॉक को बांड खाता लेखा में धारक के नामे धृत अतिशेषों में संपरिवर्तित करना ; या

(द) बांड खाता लेखा में धारक के लेखा नामे धृत अतिशेषों को सरकारी वचनपत्र या वचनपत्रों, स्टॉक प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों या समनुषंगी साधारण खाते में धारक के लेखा नामे धृत स्टॉक में संपरिवर्तित करना।"

[फा. सं. 4(5)-पीडी/98]

डी. स्वरूप, अपर सचिव (बजट)

टिप्पण : मूल नियम तत्कालीन वित्त विभाग की अधिसूचना सं. 9(1) बी/46, दिनांक 20-04-1946 द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित किए गए थे और ऐसा अंतिम संशोधन सा.का.नि. 604(अ) दिनांक 11-07-2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affiars)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2001

G.S.R. 599 (E).—Whereas the draft regulations further to amend the Public Debt Rules, 1946 were published, as required by sub-section (1) of section 28 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), vide G.S.R. 382 (E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i) dated the 23rd May, 2001 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty-five days from the date on which the copies of the said Gazette were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 24th May, 2001;

And whereas, no objections or suggestions were received from the public on the said draft regulations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Public Debt Rules, 1946, namely :—

1. (1) These rules may be called the Public Debt (Amendment) Rules, 2001;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Public Debt Rules, 1946, in rule 24, in sub-rule (1), after clause (p), the following clauses shall be inserted, namely :—

" (q) convert the Government promissory note or notes, stock certificate or certificates or stock held at the credit of the account of the holder in the Subsidiary General Ledger into balances held at the credit of the holder in the Bond Ledger Account; or

(r) convert balances held at the credit of the account of the holder in the Bond Ledger Account into Government promissory note or notes, stock cerificate or certificates or stock held at the credit of the account of the holder in the Subsidiary General Ledger."

[F. No. 4 (5)-PD/98]

D. SWARUP, Add . Secy. (Budget).

Note :—The Principal rules were published by the then Finance Department vide Notification No. 9 (1) B/46, dated 20-4-1946 and amended from time to time and last such amendment was publiched vide G.S.R. 604 (E), dated 11-7-2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.